न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

(1). प्रकरण संख्या–डिकी 83/2018
पंजीयन दिनांक 21.06.2018

(1). देवजी पिता हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2).रतनलाल पिता हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). गंगा पत्नी हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–अपीलांटगण

बनाम

(1). नारायण पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). रामेश्वर पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). चंपा पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). शांता पुत्री भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(5). नंदू बेवा भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(6).कन्हैयालाल पिता लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(7). मोहनी पुत्री लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(8). रतनी पुत्री लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(9). धापू पुत्री लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(10).टम्मू बेवा लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(11).किशनलाल पिता भगवानलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(12).कालू पिता हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(13).सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 02/2013 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015

उपस्थित वक्त बहस-(1). चन्दनमल जणवा -अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). शिवनारायण जाट-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
(3). पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 13
(4). रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 12- बावजूद सूचना अनुपस्थित

(2). प्रकरण संख्या-डिकी 82/2018
पंजीयन दिनांक 21.06.2018

(1). देवजी पिता हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). रतनलाल पिता हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). गंगा पत्नी हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांटगण

बनाम

(1). नारायण पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). रामेश्वर पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). चंपा पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). शांता पुत्री भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(5). नंदू बेवा भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(6).कन्हैयालाल पिता लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(7). मोहनी पुत्री लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(8). रतनी पुत्री लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(9). धापू पुत्री लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(10).टम्मू बेवा लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(11).किशनलाल पिता भगवानलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(12).कालू पिता हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(13).सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 02/2013 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). चन्दनमल जणवा -अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). शिवनारायण जाट-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
(3). पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 13
(4). रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 12- बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 15.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 11 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 11 व प्रतिवादीगण अपीलांट्गण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मौजा आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार की आराजी संख्या 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962 कुल किता 8 कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 से 11 व प्रतिवादीगण अपीलांट्गण का 1/2, 1/2 हक हिस्सा निहित होकर तदनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज.)

है है।वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 11 व प्रतिवादीगण अपीलांटगण अपनी आराजी में उत्तर दिशा वाले रास्ते से प्रवेश करते है इसलिये उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात का उत्तर से दक्षिण बंटवाड़ा किया जाकर अलग से राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कराये जाने की प्रार्थना की।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलांटगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए व अपनी ओर से जवाबदाव व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। काउंटर क्लेम में यह निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 6 से 9 लक्ष्मण पिता सुखदेव गाडरी के पुत्र-पुत्री है जो नाबालिग है, जिनको वयस्क बताते हुए मिथ्या वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकि नाबालिग वादी की ओर से केवल उनका संरक्षक ही न्यायालय की स्वीकृति से वादपत्र प्रस्तुत कर सकता है। नाबालिग स्वयं वादपत्र प्रस्तुत करने मे सक्षम नही है। यह भी तथ्य अंकित किये कि रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 11 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। काउंटर क्लेम में यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 कन्हैयालाल द्वारा सुवाणिया मे नाबालिग की हैसियत से बबलियायत पिता लक्ष्मण के संरक्षण मे जमीन क्रय की व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उसका बंटवाड़े का मुकदमा चला व हुआ जिसके प्रकरण संख्या 30/2010 होकर उक्त प्रकरण मे भी वादी संख्या 6 नाबालिग होने से उसके वली द्वारा उपस्थिति दी गयी, जिससे स्पष्ट जाहिर है कि रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 6 से 9 नाबालिग है। काउंटर क्लेम मे यह भी निवेदन किया कि अपीलांटगण प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर वर्षो से काबिज है लेकिन रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 11 वादीगण इस झूठे व आधारहीन दावे की आड़ मे उत्तर से दक्षिण बंटवाड़ा कर प्रतिवादीगण अपीलांटगण का कब्जा हटाकर प्रतिवादीगण अपीलांटगण की उपजाऊ जमीन स्वयं हड़पना चाहते है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। आराजी संख्या 959 अपीलांटगण प्रतिवादीगण के कब्जे मे है उसके पास ही प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की जमीन स्थित है जिससे आराजी संख्या 959 अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 के कब्जे में रखते हुए उसके पास वाली जमीन प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के कब्जे मे रखते हुए मौके के कब्जे अनुसार वादपत्र मे वर्णित आराजीयात का बंटवाड़ा किया जावे व काउंटर क्लेम मे अपीलांटगण प्रतिवादीगण ने रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 11 वादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी चाही गयी।

रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 11 वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से काउंटर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया व काउंटर क्लेम मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया। दावा, जवाबदावा, काउंटर क्लेम के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पत्रावली में तनकियात कायम की गयी व उक्त तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गयी, साक्ष्य वादी मे गवाह वादी स्वयं नारायणलाल, कैलाश, लेहरू, शरीफ मोहम्मद के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उक्त पत्रावली जिरह हेतु नियत थी व दिनांक 29.05.2015 को उक्त पत्रावली लोक अदालत कैम्प आजोलिया का खेड़ा मे नियत की गयी, जिसमे उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्तागण को पत्रावली पर सुना गया व उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया जावे, जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दावा, जवाबदावा व अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम का अवलोकन कर काउंटर क्लेम को सारहीन होना मानते हुए खारिज किया व रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 11 वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात का जमाबंदी में दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी व तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विवादित कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। कमिश्नर द्वारा दिनांक 11.11.2016 को पक्षकारान की उपस्थिति मे फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर मय तरमीम नक्शे के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.12.2016 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 एवं अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2016 से असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4 अपीलांट्गण ने इस न्यायालय में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2016 के विरूद्ध अलग-अलग अपीले प्रस्तुत की । प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील कमांक डिक्री 83/2018 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील कमांक डिक्री 82/2018 दर्ज रजिस्टर की जाकर दोनो अपीले आक्षेपाधीन पंजीयन की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व रेस्पोडेन्ट्गण तामील की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व पत्रावलीयां वास्ते बहस अंतिम नियत की गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.05.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2016 में वर्णित कृषि आराजीयात पक्षकारान व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एक ही होने से दोनो पत्रावलीयों में एक साथ बहस सुनी जाकर दोनो पत्रावलीयो में एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है, निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावलीयों में संलग्न रहे। दोनो पत्रावलीयो मे अपीले म्याद बाहर होने से दोनो पत्रावलीयों मे अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 11 वादीगण ने मौके पर आकर विवाद किया व प्रकरण में निर्णय होना बताया जिससे वाद जानकारी अपील पेश है। उक्त दोनो ही अपीलो मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्य विश्वसनीय व न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होकर दोनो अपीले, अपील क्रमांक डिक्री 83/2018 व अपील क्रमांक 82/2018 अंदर म्याद शुमार की जाती है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए यह निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने जवाबदावे के साथ काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया था। जिसका रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण ने जवाब काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया तत्पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली मे तनकीयात कायम की व पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गयी। उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये जिसकी जिरह हेतु पत्रावली नियत थी, उक्त पत्रावली को लोक अदालत कैम्प-कोर्ट आजोलिया का खेड़ा मे नियत किया जाकर बिना लिखित राजीनामे के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी व उसी प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार उक्त पत्रावली में फर्द बंटवाड़ा मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु. 2008 पार्ट-2 पेज 975 , आर.आर.टी. 2021 पार्ट-1 पेज 533, आर.आर.टी. 2017 पार्ट-1 पेज 689, आर.आर.टी. 2022 पार्ट -1 पेज 61, आर.आर.टी. 2018-19 पेज 410, आर.आर.टी. 2019 पार्ट-2 पेज 1120, आर. आर.टी. 2011 पार्ट-2 पेज 1350 प्रस्तुत कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2016 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अपीलांटगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध सहखातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के बंटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 11 वादीगण विवादित कृषि आराजीयात में 1/2 हक व हिस्से के सहखातेदार है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात के 1/2 हक व हिस्से के सहखातेदार है। उसी अनुसार उक्त कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा किये जाने का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांटगण प्रतिवादीगण ने जवाबदावा व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया । रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 11 वादीगण ने काउंटर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया तत्पश्चात उक्त पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 11 वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पत्रावली के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 29.05.2015 को लोक अदालत कैम्प आजोलिया का खेड़ा मे नियत की गयी, जिसमे उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित हुए व अपनी-अपनी बहस की गयी व उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जिसमे रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 से 11 वादीगण विवादित कृषि आराजीयात के 1/2 हिस्से के सहखातेदार अपीलांटगण प्रतिवादीगण है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा बंटवाड़ा नियम व कानून म्याद अधिनियम के संबंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया, मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 11 वादीगण व अपीलांटगण प्रतिवादीगण विवादित कृषि आराजीयात के सहखातेदार होकर 1/2, 1/2 हक हिस्सा हे व उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण की साक्ष्य में विचाराधीन रहते हुए लोक अदालत मे नियत की गयी व लोक अदालत में उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित हुए व राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार निर्णय पारित किये जाने की सहमति प्रदान की। उक्त सहमति के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.05.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील क्रमांक डिक्री 83/2018 सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। व प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने कमिश्नर तहसीलदार गंगरार से फर्द बंटवाड़ा तलब किये जाने का आदेश पारित किया । तहसीलदार गंगरार कमिश्नर स्वयं के द्वारा बिना पक्षकारान को सूचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किये अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक से बंटवाड़ा नियम 18 से 20 की पालना किये बगैर फर्द बंटवाड़ा अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाड़े पर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की आपत्ती व ऐतराज लिए बगैर उसी फर्द बंटवाडे के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी जो न्यायोचित नहीं होने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण अपील कमांक डिक्री 83/2018 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 यथावत रखी जाती व अपील कमांक डिक्री 82/2018 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 02/2013 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे कमिश्नर स्वयं के द्वारा फर्द बंटवाड़ा तलब किया जाकर बंटवाड़ा नियम 18 से 20 की पालना करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुसार नवनिर्णय पारित करे। अपील कमांक 83/2018 मे डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटायी जावे। पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 83/2018 **/डिक्री**

① श्री देवजी पिता हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)
② रतनलाल पिता हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)
③ गंगा पत्नी हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

–अपीलान्ट

बनाम

① श्री नारायण पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)
② रामेश्वर पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)
③ चम्पा पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

–रेस्पोंडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गंगरार दि. 29-05-2015

प्रकरण सं. 02/2013 अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 15-07-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनमल जणवा रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री शिवनारायण जाट अधिवक्ता रेस्पो० 1 से 5, श्री पूरणमल स्वर्णकार राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० नं. 13 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि – , ④ रेस्पो० नं. 6 से 12 बावजूद तामील अनुपस्थित

अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण अपील क्रमांक डिक्री 83/2018 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29-05-2015 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ……………… रुपये हैं, ……………… द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ……………… द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 15-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 15-07-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. ……………. रू. पर प्लीडर की फीस		4. ……………. रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

(4) शांता पुत्री भेरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

(5) नेनू बेवा भेरूलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

(6) कन्हैयालाल पिता लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

(7) मोहनी पुत्री लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

(8) रतनी पुत्री लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

(9) धापू पुत्री लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

(10) टम्मू बेवा लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

(11) किशनलाल पिता भगवानलाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)।

(12) कालू पिता हीरालाल जाति गाडरी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

(13) सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)